

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 नवम्बर 2020 — कार्तिक 16, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्रमांक 16 ए/चार/वि. स. उप-चु./2020/3247. — विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 24-मरवाही (अ. ज. जा.) विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के मतगणना कार्य हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई - दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 434/छ. ग.-वि. स./2018(1), दिनांक 06 नवम्बर, 2020 एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 — 15 कार्तिक, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं० 434/छग०-वि०स०/2018 (1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से, दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को 24 - मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव, 2020 के दौरान मतों की गणना में निर्वाचन अधिकारी की सहायता करने के लिए, आयोग द्वारा पूर्व में अधिसूचित अधिसूचना सं० 434/छग०-वि०स०/2018 (1) दिनांक 4 अक्तूबर, 2018, समय समय पर यथा संशोधित, के द्वारा नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों के अतिरिक्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है :-

सारणी

विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम	सहायक निर्वाचन अधिकारी *
1	2
24 - मरवाही (अ.ज.जा.)	6. अतिरिक्त कलेक्टर, गौरैला - पेण्ड्रा - मरवाही
	7. तहसीलदार, पेण्ड्रा, जिला - गौरैला - पेण्ड्रा - मरवाही

उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सहायक निर्वाचन अधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित 24-मरवाही (अ.ज.जा.) विधान सभा के उप चुनाव में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 6th November, 2020 — 15 Kartika, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2018 (1) :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the state government of Chhattisgarh, following officers mentioned in column 2 of the Table below, as Assistant Returning Officers, in addition to Assistant Returning Officers nominated vide its Notification No. 434/CG-LA/2018(1), dated 4th October, 2018, as amended from time to time to assist the Returning Officer of 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency for counting of votes during by-election to the 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, 2020 :-

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
24-Marwahi (ST)	6. Additional Collector, Gaurela-Pendra-Marwahi
	7. Tehsildar, Pendra, Dist-Gaurela-Pendra-Marwahi

The officers in Column 2 of the above table shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of counting of votes in by-election to 24-Marwahi (ST) Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2020.

By Order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
Senior Principal Secretary.